भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 3115
09 अगस्त, 2024 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

केन्द्र प्रायोजित स्वास्थ्य योजनाएं

3115. डॉ. थोल तिरूमावलवन:

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा वर्तमान में देश में कार्यान्वित की जा रही केन्द्र प्रायोजित स्वास्थ्य योजनाओं और प्रमुख कार्यक्रमों का तमिलनाडु सहित राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;
(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान आज तक इन योजनाओं के लिए आबंटित और जारी की गई निधि की कुल राशि का योजना-वार और तमिलनाडु सहित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है; और
(ग) क्या सरकार ने इन योजनाओं के निष्पादन का आकलन किया है और यदि हां, तो इसके योजना-वार क्या परिणाम प्राप्त हुए?

उत्तर
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रतापराव जाधव)

(क) से (ग) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय विभिन्न केंद्र प्रायोजित योजनाओं के माध्यम से स्वास्थ्य परिचर्या क्षेत्र में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रयासों में सहायता करता है। तमिलनाडु सहित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के माध्यम से कार्यान्वित विभिन्न प्रमुख केंद्र प्रायोजित योजनाओं/कार्यक्रमों तथा जारी/उपयोग की गई धनराशि का विवरण अनुलग्नक में संलग्न है। विभिन्न केंद्र प्रायोजित योजनाएं इस मंत्रालय के अंतर्गत आने वाली योजनाओं के प्रत्येक घटक के लिए तय अलग-अलग बजट लाइनों के साथ कार्यान्वित की जाती हैं। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को इन योजनाओं के लिए धनराशि तिमाही आधार पर उपयोग प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने पर जारी की जाती है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के माध्यम से कार्यान्वित विभिन्न योजनाओं की निगरानी के लिए एक मजबूत प्रणाली मौजूद है। विभिन्न प्रशासनिक, तकनीकी और वित्तीय मुद्दों का समाधान करके योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने और सुविधाजनक बनाने के लिए समीक्षाएं की जाती हैं।

अनुलग्नक

1. वित्तीय वर्ष 2021-22 से वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के अंतर्गत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार जारी निधि और व्यय।

(करोड़ रुपए में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	2021-22		2022-23		2023-24	
		केंद्र द्वारा जारी निधि	व्यय	केंद्र द्वारा जारी निधि	व्यय	केंद्र द्वारा जारी निधि	व्यय
1	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	43.68	31.20	45.26	42.28	37.84	40.71
2	आंध्र प्रदेश	1,199.37	2,448.67	1,489.45	1,914.34	1,096.01	2,436.62
3	अरुणाचल प्रदेश	188.53	248.51	233.82	424.78	404.55	399.44
4	असम	1,955.93	2,194.36	1,981.83	2,307.00	2,257.06	2,626.87
5	बिहार	1,748.76	1,905.35	1,586.57	3,717.81	2,032.95	4,010.97
6	चंडीगढ़	17.47	26.86	38.09	26.98	30.58	31.85
7	छत्तीसगढ़	969.61	1,833.45	1,195.08	2,152.45	875.80	1,743.79
8	दादरा एवं नगर हवेली दमन और दीव	38.59	45.02	58.28	41.61	39.92	41.96
9	दिल्ली	127.37	237.79	35.15	298.11	150.54	338.41
10	गोवा	26.01	60.56	55.42	84.64	48.97	82.44
11	गुजरात	1,094.48	1,835.81	1,120.06	2,292.35	1,506.96	3,672.25
12	हरियाणा	577.07	879.91	681.21	1,185.43	524.01	998.80
13	हिमाचल प्रदेश	555.09	525.09	494.65	567.83	470.36	700.67
14	जम्मू और कश्मीर	459.10	779.61	651.52	917.02	805.22	956.95
15	झारखंड	640.18	1,176.55	810.30	1,495.17	958.06	1,968.70
16	कर्नाटक	1,274.71	2,200.92	1,246.67	2,376.94	1,187.60	2,272.27

17	केरल	771.47	1,230.96	1,036.76	1,592.96	189.15	1,069.42
18	लद्दाख	44.79	62.81	94.94	109.67	120.44	119.67
19	लक्षद्वीप	8.41	7.26	9.97	9.29	3.79	7.10
20	मध्य प्रदेश	2,295.66	3,714.92	2,582.10	4,489.15	2,545.68	5,079.18
21	महाराष्ट्र	1,769.67	4,227.31	2,187.13	4,501.75	2,729.30	5,001.70
22	मणिपुर	95.59	154.09	61.40	214.69	169.12	159.32
23	मेघालय	282.46	227.08	261.56	319.08	261.39	305.83
24	मिजोरम	93.82	153.16	111.82	135.33	134.42	148.29
25	नागालैंड	126.66	192.16	91.38	161.93	184.84	196.69
26	ओडिशा	1,263.07	2,587.72	1,284.69	3,402.50	1,901.77	2,868.83
27	पुदुचेरी	21.33	46.36	20.73	48.51	30.80	45.74
28	पंजाब	349.21	918.96	448.89	1,054.39	91.49	1,201.21
29	राजस्थान	1,924.95	3,230.01	1,460.80	3,726.21	2,785.46	4,350.63
30	सिक्किम	51.86	46.06	73.30	88.69	68.17	55.69
31	तमिलनाडु	1,631.91	3,039.39	1,652.24	3,191.84	1,996.06	2,957.57
32	तेलंगाना	725.67	1,556.65	683.77	2,062.93	564.93	1,001.75
33	त्रिपुरा	217.95	237.24	231.90	287.20	264.31	277.62
34	उत्तर प्रदेश	3,235.46	6,210.20	5,133.59	8,828.29	4,928.14	9,044.22
35	उत्तराखंड	553.47	606.07	505.01	647.13	711.33	709.79
36	पश्चिम बंगाल	1,654.26	2,229.46	1,252.32	3,509.86	890.42	2,817.75

टिप्पणी:

i. केंद्रीय आवंटन मूल परिव्यय/बजट अनुमान के अनुसार है।

ii. व्यय में केंद्र द्वारा जारी निधि, राज्य द्वारा जारी निधि और वर्ष की शुरुआत में अव्ययित शेष राशि के सापेक्ष व्यय शामिल है। व्यय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रस्तुत एफएमआर के अनुसार है और अनंतिम है।

iii. उपरोक्त जारी निधियां केन्द्र सरकार के अनुदान से संबंधित हैं तथा इसमें राज्य का अंशदान शामिल नहीं है।

2. प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन के अंतर्गत प्रारंभ से लेकर वित्त वर्ष 2023-24 तक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार जारी निधि और व्यय।

(करोड़ रुपए में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	2021-22		2022-23		2023-24	
		केंद्र द्वारा जारी निधि	व्यय	केंद्र द्वारा जारी निधि	व्यय	केंद्र द्वारा जारी निधि	व्यय
1	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	-	-	1.11	-	-	-
2	आंध्र प्रदेश	3.75	-	15.76	6.25	35.78	28.85
3	अरुणाचल प्रदेश	0.56	-	0.10	-	8.83	2.25
4	असम	57.90	-	2.26	1.16	91.45	68.45
5	बिहार	125.86	-	7.17	-	-	50.69
6	चंडीगढ़	-	-	4.79	1.73	10.38	5.83
7	छत्तीसगढ़	11.25	-	1.34	11.01	32.23	19.64
8	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	-	-	0.24	-	0.28	0.20
9	दिल्ली	-	-	-	-	-	-
10	गोवा	-	-	0.06	-	3.75	0.00
11	गुजरात	-	-	29.54	32.24	46.04	15.88
12	हरियाणा	11.06	-	1.31	-	17.67	16.63
13	हिमाचल प्रदेश	-	-	28.05	9.98	15.69	15.27
14	जम्मू और कश्मीर	16.11	-	1.00	-	44.01	109.13
15	झारखंड	44.70	-	183.04	240.87	102.27	454.05
16	कर्नाटक	11.25	-	37.10	18.75	100.57	104.47

17	केरल	3.75	-	24.89	4.72	-	36.66
18	लद्दाख	-	-	0.00	-	0.62	0.31
19	लक्षद्वीप	-	-	0.63	-	-	0.07
20	मध्य प्रदेश	22.85	-	98.70	99.43	228.52	300.57
21	महाराष्ट्र	17.45	-	4.07	-	31.76	34.46
22	मणिपुर	4.56	-	10.92	4.56	13.78	16.89
23	मेघालय	9.65	-	43.28	8.80	4.42	28.02
24	मिजोरम	0.28	-	1.52	0.27	4.52	1.32
25	नागालैंड	0.28	-	0.08	-	4.42	0.60
26	ओडिशा	32.15	-	211.46	258.55	174.89	423.43
27	पुदुचेरी	0.42	-	0.19	0.62	2.67	2.88
28	पंजाब	-	-	24.16	-	-	2.07
29	राजस्थान	45.37	-	83.59	108.50	173.06	280.43
30	सिक्किम	-	-	0.75	0.26	3.88	2.05
31	तमिलनाडु	17.45	29.08	150.42	183.35	279.36	389.37
32	तेलंगाना	11.25	-	53.88	83.75	95.21	141.73
33	त्रिपुरा	-	-	0.90	0.38	2.48	1.43
34	उत्तर प्रदेश	124.63	-	173.71	254.04	247.96	252.69
35	उत्तराखंड	1.56	-	32.31	1.60	-	16.35
36	पश्चिम बंगाल	9.95	-	-	9.75	30.91	49.78

टिप्पणी:

i. केंद्रीय आवंटन मूल परिव्यय/बजट अनुमान के अनुसार है।

ii. व्यय में केंद्र द्वारा जारी निधि, राज्य द्वारा जारी निधि और वर्ष की शुरुआत में अव्ययित शेष राशि के सापेक्ष व्यय शामिल है। व्यय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रस्तुत एफएमआर के अनुसार है और अनंतिम है।

iii. उपरोक्त जारी निधियां केन्द्र सरकार के अनुदान से संबंधित हैं तथा इसमें राज्य का अंशदान शामिल नहीं है।

3. पिछले 3 वर्षों में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री - जन आरोग्य योजना (एबी पीएम-जेएवाई) के अंतर्गत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार वर्ष-वार जारी धनराशि:

(करोड़ रुपए में)

क्र.सं.	राज्य /संघ राज्य क्षेत्र	वित्त वर्ष 2021 -22	वित्त वर्ष 2022 -23	वित्त वर्ष 2023-24
1.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	0.76	1.00	0.59
2.	आंध्र प्रदेश	223.95	480.89	451.45
3.	अरुणाचल प्रदेश	0.00	3.80	3.47
4.	असम	87.91	209.33	292.06
5.	बिहार	59.77	145.51	172.50
6.	चंडीगढ़	2.49	6.41	8.96
7.	छत्तीसगढ	66.00	352.94	195.47
8.	दादर एवं नगर हवेली तथा दमन एवं दीव	1.76	2.93	7.79
9.	गोवा	0.60	0.53	1.20
10.	गुजरात	330.55	660.15	267.48
11.	हरियाणा	89.95	143.50	95.17
12.	हिमाचल प्रदेश	33.71	64.32	47.91
13.	जम्मू और कश्मीर	75.12	85.62	42.22
14.	झारखंड	7.98	0.00	83.55
15.	कर्नाटक	414.11	647.74	320.59
16.	केरल	138.90	151.34	155.49
17.	लद्दाख	0.51	1.92	1.93
18.	लक्षद्वीप	0.31	0.15	0.07
19.	मध्य प्रदेश	355.25	665.73	790.35
20.	महाराष्ट्र	324.75	388.03	548.40
21.	मणिपुर	22.50	38.55	29.17
22.	मेघालय	22.28	47.31	49.74
23.	मिजोरम	16.58	26.30	23.35
24.	नागालैंड	14.09	21.69	28.60
25.	पुदुचेरी	0.11	7.98	5.30
26.	पंजाब	80.50	111.38	57.96
27.	राजस्थान	96.39	416.96	606.04
28.	सिक्किम	1.04	2.30	6.01
29.	तमिलनाडु	75.14	578.67	681.74
30.	तेलंगाना	150.26	173.54	135.75
31.	त्रिपुरा	35.60	45.25	48.81
32.	उत्तर प्रदेश	157.56	501.78	841.11
33.	उत्तराखंड	54.23	65.11	60.21

4. राज्यों की औषधि विनियामक प्रणाली (एसएसडीआरएस) को सुदृढ़ बनाने की योजना के अंतर्गत अब तक आवंटित और जारी की गई धनराशि का विवरण निम्नानुसार है:

(करोड़ रुपए में)

क्र. सं.	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का नाम	आबंटित केन्द्रीय हिस्सा(%)	जारी किया गया कुल केंद्रीय हिस्सा	प्रतिशत उपयोग (%)
1	आंध्र प्रदेश	33.57	31.93	70.47
2	बिहार	34.75	34.75	91.34
3	छत्तीसगढ़	8.08	8.08	36.51
4	गोवा	2.43	2.43	61.23
5	गुजरात	85.97	48.70	61.85
6	हरियाणा	16.64	16.64	11.72
7	हिमाचल प्रदेश	40.50	40.50	61.58
8	जम्मू और कश्मीर	51.30	40.28	75.65
9	झारखंड	6.35	6.35	53.54
10	कर्नाटक	24.23	24.23	97.23
11	केरल	19.00	19.00	47.37
12	मध्य प्रदेश	23.02	23.02	40.88
13	महाराष्ट्र	82.18	57.00	43.14
14	ओडिशा	18.07	18.07	86.11
15	पंजाब	22.00	22.00	33.32
16	राजस्थान	22.35	22.35	81.30
17	तमिलनाडु	50.44	32.64	50.31
18	तेलंगाना	16.70	16.70	92.87
19	उत्तराखंड	26.00	26.00	77.88
20	उत्तर प्रदेश	41.50	41.49	53.17
21	पश्चिम बंगाल	67.00	38.88	35.73
22	अरुणाचल प्रदेश	10.53	10.00	50.00
23	असम	42.43	42.43	49.10
24	मणिपुर	5.87	5.87	0.00
25	मेघालय	7.40	7.40	43.38
26	मिजोरम	12.49	9.00	93.02
27	नगालैंड	8.60	8.59	100.00
28	सिक्किम	8.00	7.29	40.74
29	त्रिपुरा	12.00	10.50	52.00
30	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	12.81	7.70	36.36
31	पुदुचेरी	7.20	7.10	19.44

32	चंडीगढ़	0.00	0.00	0.00
33	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00
34	लद्दाख	28.27	2.63	0.00
35	अंडमान निकोबार	3.08	3.08	0.00
36	दादर एवं नगर हवेली दमन	8.87	6.65	0.00

5. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय उन संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों/जिलों में "मौजूदा जिला/रेफरल अस्पतालों से जुड़े नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना" के लिए केंद्र प्रायोजित योजना का संचालन करता है, जिनमें सरकारी या निजी क्षेत्र का एक भी मेडिकल कॉलेज नहीं है।

पिछले तीन वर्षों में 'मौजूदा जिला/रेफरल अस्पतालों से जुड़े नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना' योजना के अंतर्गत जारी की गई धनराशि का राज्यवार ब्यौरा।

(करोड़ रुपए में)

क्र.सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**	**केंद्रीय हिस्से से जारी धनराशि**			**कुल**
		2021-22	**2022-23**	**2023-24**	
1.	आंध्र प्रदेश	150	0	70.47	220.47
2.	असम	79.5	50	0	129.5
3.	बिहार	127.01			127.01
4.	छत्तीसगढ	120	0	0	120
5.	गुजरात	430	0	0	430
6.	कर्नाटक	519.36	0	0	519.36
7.	मध्य प्रदेश	0	0	217.50	217.5
8.	महाराष्ट्र	100	0	0	100
9.	मणिपुर	77.13	0	0	77.13
10.	नागालैंड	87.5	0	0	87.5
11.	ओडिशा	62.29	0	23.75	86.04
12.	राजस्थान	750	0	0	750
13.	उत्तराखंड	146.96	0	502.50	649.46
14.	उत्तर प्रदेश	700	1232.24	0	1932.24
15.	तमिलनाडु	1584.72	0	0	1584.72
16.	पश्चिम बंगाल	70.53	0	0	70.53
	कुल	**4815.7**	**1282.24**	**814.22**	**7101.46**

6. देश में एमबीबीएस सीटें बढ़ाने के लिए मौजूदा राज्य सरकार/केंद्र सरकार के मेडिकल कॉलेजों का उन्नयन और नए पीजी विषयों को शुरू करने और पीजी सीटें बढ़ाने के लिए राज्य सरकार के मेडिकल कॉलेजों का सुदृढ़ीकरण और उन्नयन

(i) **"नए पीजी विषयों को शुरू करने और पीजी सीटों में वृद्धि के लिए राज्य सरकार के मेडिकल कॉलेजों का सुदृढ़ीकरण और उन्नयन" योजना के तहत जारी की गई धनराशि का राज्यवार ब्यौरा**

(करोड़ रुपए में)

क्र. सं.	**राज्य का नाम**	**जारी की गई राशि**			**कुल**
		2021 -22	**2022 -23**	**2023 -24**	
1.	आंध्र प्रदेश	0	113.4	85.05	198.45
2.	बिहार	41.4	0	0	41.4
3.	राजस्थान	5.0	32.83	0	37.83
4.	जम्मू और कश्मीर	0	11.47	7	18.47
5.	केरल			2.07	2.07
6.	गुजरात	0	0	11.44	11.44
7.	तेलंगाना	0	63.74	0	63.74
8.	उत्तर प्रदेश	0	72.82	0	72.82
9.	पश्चिम बंगाल	0	108.73	0	108.73
	कुल	**46.4**	**402.99**	**105.56**	**554.95**

(ii) **"एमबीबीएस सीटों में वृद्धि के लिए राज्य सरकार के मेडिकल कॉलेजों का सुदृढ़ीकरण और उन्नयन" योजना के अंतर्गत जारी की गई धनराशि का राज्यवार ब्यौरा**

(करोड़ रुपए में)

क्र. सं.	**राज्य**	**केंद्रीय हिस्से से जारी धनराशि**			**कुल**
		2021-22	**2022-23**	**2023-24**	
1.	छत्तीसगढ	0	27.00	0	27.00
2.	गुजरात	0	18.00	0	18.00
3.	हिमाचल प्रदेश	0	35.64	0	35.64
4.	उत्तर प्रदेश	0	110	0	110
5.	महाराष्ट्र	0	99	9	108
कुल			**289.64**	**9**	**298.64**

योजना के तहत वित्त वर्ष 2021-22 में कोई धनराशि जारी नहीं की गई

7. नर्सिंग शिक्षा को बढ़ावा देना-मेडिकल कॉलेजों के सह-स्थान पर 157 नए नर्सिंग कॉलेजों की स्थापना को कैबिनेट ने 26.04.2023 को मंजूरी दी। वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान जारी की गई निधियों की राज्यवार सूची इस प्रकार है:

क्र.सं.	राज्य	जारी की गई धनराशि (करोड़ रुपये में)
1.	आंध्र प्रदेश	6.00
2.	असम	10.00
3.	गुजरात	20.00
4.	हरियाणा	2.00
5.	हिमाचल प्रदेश	9.00
6.	जम्मू और कश्मीर	2.00
7.	झारखंड	10.00
8.	मेघालय	6.50
9.	महाराष्ट्र	5.00
10.	मध्य प्रदेश	29.00
11.	नागालैंड	12.00
12.	राजस्थान	50.22
13.	सिक्किम	6.50
14.	ओडिशा	28.00
15.	उत्तर प्रदेश	54.00
16.	लद्दाख	2.50
